

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना जिला बालोतरा

प्रकरण संख्या:-

GCMS NO:- 2025/791

-:: आदेश ::-

प्रार्थी/प्रार्थीगण के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी धीरा..... व भूअ.नि. रमणीया की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सिवाना/समदडी की रिपोर्ट व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज यथा ..... आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, स्वरपंचमांगी करपत्राक्षपत्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट व तहसीलदार सिवाना/समदडी की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत निम्नानुसार शुद्धि की जाकर तदनुसार तहसीलदार सिवाना/समदडी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते हैं:-

| क्र.सं | ग्राम | खसरा संख्या | वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि) | आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है) |
|--------|-------|-------------|--------------------------------------|--|
| 01     | मांगी | 465.        | हकाराम पुत्र धुंका राम               | हकाराम पुत्र धुंका राम                                       |

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)  
उपखण्ड अधिकारी  
सिवाना (बालोतरा)

कमांक- / राजस्व / ग्रा.से.शिविर / 2025 / 111

दिनांक:- 8.11.2025

प्रतिलिपि -

1. तहसीलदार सिवाना/समदडी को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी/प्रार्थीगण हकाराम पुत्र धुंका राम जाति मेधावाल निवासी मांगी तहसील सिवाना/समदडी जिला बालोतरा
3. रक्षित पत्रावाली।

